## महत्वपूर्ण एवं खास

### प्राथमिक शाला से कुर्सी, पंखा, सिलेण्डर आदि की चोरी, मामला दर्ज

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना पुसौर अन्तर्गत स्थित शासकीय प्राथमिक शाला तिलगी के प्रधान पाठक भुनेश्वर पटेल पिता सदानंद पटेल उम्र 45 वर्ष द्वारा आज दिनांक 17.06.19 को थाना पुसौर में विद्यालय से कुर्सी, पंखा, सिलेण्डर आदि चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । प्रधान पाठक ने बताया कि दिनांक 17.06.19 को सफाई के लिए सफाईकर्मी ने स्कुल खोला तो स्कुल के दोनो कमरो के ताले टुटे हुये थे । स्कुल कक्ष में लगे 01 पंखा तथा 04 कुर्सी, 02 सेलेन्डर , बर्तन आदि जुमला कीमती लगभग 4000 रूपये को कोई चोर दिनांक 16-17.06.19 के दरम्यानी रात चोरी कर ले गया है, चोरी होने की जानकारी मिलने पर जाकर देखा हूं । चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र 97/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

### ट्रांसपोर्ट वाहन से 40 हजार रूपये की डिटर्जेंट पावडर गयाब कर ड्रायवर फरार, ख्यानत का मामला दर्ज

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** गौशाला रोड मदनपुर खरसिया में रहने वाले गजानंद अग्रवाल की डिटर्जेंट पावडर बनाने की फैक्टरी खरसिया में संचालित है । दिनांक 25.04.19 को गजानंद अग्रवाल, बजरंग ट्रासर्पोट खरसिया प्रो केशव राठौर की बिल्टी पर राय ट्रासर्पोट बिलासपुर के वाहन क्रं. सीजी 10 एक्स 4120 में ड्रायवर गोलू सिंह एवं खलासी जितेन्द्र सिंह डिटर्जेंट पावडर 260 बेग, गाडी में लोड कर बिलासपुर एवं शिवरीनारायण के लिये रवाना किया था। दूसरे दिन गजानंद अग्रवाल को जानकारी मिली की वाहन का चालक गोलू सिंह के द्वारा 50 बेग (50 बेग एक बेग में 30 किलो कीमती 40,000/रू.) को अन्यत्र कहीं कर दिया तथा शेष 210 बेग को वाहन में ही छोड़कर कहीं चला गया। घटना की रिपोर्ट चौकी खरसिया में किये जाने पर अप.क्र. 261/19 धारा 407 भादंवि का अपराध वाहन चालक के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

### ग्राम मल्दा में पुसौर पुलिस द्वारा जुआ एक्ट पर कार्यवाही

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना पुसौर में पदस्थ सउनि दुर्गाचरण साहू हमराह स्टाफ आरक्षक टीकाराम बरेठ, नरोत्तम सिदार के साथ दिनांक 17.06.19 के रात्रि 01.10 बजे पेट्रालिंग दौरान मुखबिर सूचना पर ग्राम मल्दा में त्रिसुल तालाब शंकर मंदिर पास जुआ खेल रहे व्यक्तियों को घेराबंदी कर जुआ रेड की कार्यवाही किये जिसमें (01) जय लाल भोय पिता फकीर भोय उम्र 32 वर्ष सा0 लारा थाना पुसौर जिला रायगढ (02) जयराम गुप्ता पिता स्व0 रूपधर गुप्ता उम्र 43 वर्ष साकिन दर्रीपाली थाना पुसौर जिला रायगढ (03) गणपति साव पिता राम भरोस साव उम्र 34वर्ष साकिन मल्दा थाना पुसौर जिला रायगढ (04) ज्योति लाल पिता फकीर सिदार उम्र 22 वर्ष सा0 मल्दा थाना पुसौर जुआ खेलते पकडे गये । जुआडियों के पास से तास के 52 पत्ते एवं जुमला 4550 रूपये जप्त किया गया है । जुआडियों के विरूद्ध थाना पुसौर में अप.क्र 96/19 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है ।

# जूटमिल पुलिस ने पकड़ा अवैध नौ नग बीजा लकड़ी

**रायगढ़।** वन मंडल रायगढ़ में पिछले लंबे समय से लकड़ी तस्करी जोरों पर है और इसे रोक पाने में वन अमला निष्क्रिय है। यही कारण है कि अब अवैध लकड़ी की तस्करी के मामले को अक्सर पुलिस के जवान पकड़ रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने एक ऐसा अनोखा मामला पकड़ा है, कि वन अमला पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस ने बीती रात जिस नौ नग अवैध बीजा गोला को पकड़ा है। उसमें बकायदा वन अमला के हैमर के निशान लगे हुए हैं और इससे लकड़ी तस्करों से वन कर्मचारियों की मिली भगत की पुष्टि भी हो रही है। हांलाकि मामले को वन अमला के सुर्पूद किया जा रहा है और अब मामले में वन अमला जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात सावित्री नगर रोड पर पीकप में अवैध नौ नग बीजा का गोला की तस्करी की जा रही थी। तभी पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने उक्त पिकप को देखा और जब उसे रोकने की कोशिश की तो लकड़ी तस्कर पिकप से कूद कर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने अवैध

सराई से लदे पिकप को पुलिस चौकी ले आयी और मामला वन अमला के सुर्पूद करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन जब रायगढ़ वन परिक्षेत्र के वनकर्मी प्रकरण को सुर्पूद में लेने पहुंचे तो उन्होंने प्रार्रभिक जांच में पाया कि बीजा के गोले में बकायदा हैमर का निशान लगा हुआ है और इसे देख वनकर्मी भी सकते में आ गए। इसके बाद मामले में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। जानकारों ने बताया कि हैमर का निशान तब लगाया जाता है, जब कहीं अवैध कटाई के बाद लकड़ी जब्ती की गई हो या फिर जंगल से कटिंग के बाद उसकी थप्पी लगा कर उस पर पासिंग हैमर डालकर उसे डीपो परिवहन कराया जाना होता है। हांलाकि यह बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा पकड़ा गया बीजा का गोला किसी कूप का है और इसमें 388 आरजी उल्लेख है। ऐसे में हैमर का निशान लगने के बाद लकड़ी की तस्करी होना वनकर्मियों को ही सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। फिलहाल मामले में पुलिस के द्वारा प्रकरण वन अमला को सौंपने के बाद अब आगे की कार्रवाई वन विभाग के द्वारा की जानी है।

### हैमर की होगी पुष्टि

पुलिस द्वारा पकड़े गए अवैध बीजा गोले में पासिंग हैमर के निशान लगे हुए हैं। अब उस पासिंग हैमर किसे स्वीकृत किया गया था। इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात वन अमला कर रहा है। जानकारों का कहना है कि कूप से लकड़ी की चोरी होना कूप प्रभारी की लापरवाही को उजागर कर रही है।

### जमानत के लिए ऋण पुस्तिका की रंगीन फोटो लगाया, जमानतदार पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ सुश्री पुष्पलता मारकण्डे के न्यायालय मं परिवाद प्रकरण क्रमांक 217/2011 जयनारायण विरूद्ध सोमेश में जमानतदार बंसबहादुर सिंह पिता सूरज सिंह उम्र 58 साल सकिन इंदिरानगर रायगढ के द्वारा प्रस्तुत किसान पुस्तिका क्रमांक 277150 मूल प्रति न होकर उसकी रंगीन फोटोकापी लगाया गया था । जमानतदार के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 196/19 धारा 420, 205 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

# दो अज्ञात चोरों द्वारा पता पूछने के बहाने युवक से मारपीट कर मोबाईल की लूट, रिपोर्ट दर्ज

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना कोतरारोड़ अन्तर्गत भगवानपुर ऊपर बस्ती दुर्गा मंदिर के सामने रहने वाला मेदनी सिंह ठाकुर पिता सुखनंदन सिंह ठाकुर उम्र 43 वर्ष जेएसपीएल कंपनी में काम करता है । दिनांक 15.06.2019 की रात्रि मेदनी सिंह का परिवार भगवानपुर में शादी निमंत्रण में गये थे ,जहां से परिवार के लोग वापस आ गये थे । मेदनी सिंह का लड़का किशोर शादी घर में रूका था । रात्रि करीब 01.15 बजे किशोर घर आया तो उसके उसके हाथ, सिर में चोट था । किशोर ने अपने पिता को बताया कि रात्रि करीब 10:45 बजे भगवानपुर मेन रोड के पास घर आते समय दो युवक उम्र करीब 20-21 वर्ष ढिमरापुर का पता पूछकर मोबाईल छिनने लगे जिसका विरोध करने पर एक युवक ने बीयर की बोतल से हाथ में मारा, एक ने डंडा से सिर में मारा और मोबाईल रेडमी नोट-5 प्रो कीमत 11,000 रूपये को लूटकर भाग गये । मारपीट से बेहोश हालात में मुझे रोड़ पर पड़ा था तो ट्रक वाले ने चेहरा में पानी छिड़का और पानी पिलाया तब घर आया हूं । आहत किशोर ने यह भी बताया कि लूट करने वाले लडके शादी घर में भी आये थे जिन्हें देखकर पहचान लूंगा । घटना के संबंध में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 129/19 धारा 394 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

# शादी के एक सप्ताह बाद नवविवाहिता से 5 लाख रूपये दहेज की मांग कर कर रहे थे प्रताड़ित, मामला दर्ज

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** हावडा पश्चिम बंगाल की रहने वाली श्रीमती राबिया बेगम पति मो. अकबर उम्र 25 वर्ष द्वारा चौकी जूटमिल में ससुराल पक्ष के लोगों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीडिता ने बताया कि वर्ष 2013 में बजरंगपारा निवासी मो. अकबर के साथ मुस्लिम रीति रीवाज के अनुसार हुई थी मेरी एक पुत्री है। शादी में मेरे माता पिता अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिये थे। शादी के एक सप्ताह पश्चात पति मो0 अकबर, ससुर शेर मोहम्मद, सास मोमिना बेगम, ननद शबनम बानो सभी निवासी सोनुमुडा बजरंगपारा के द्वारा 5,00,000 /- रूपये दहेज की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक तौर से प्रताडित कर रहे थे। प्रताड़िना सहती रही और अपने पिता को घटना के बारे में बताई। ससुराल पक्ष के लोग मोटी हो कहकर ताना मारते थे। वर्ष 2015 में ससुराल के लोग काफी प्रताडित किये और घर से बाहर निकाल दिये थे । इस साल 2019 में मेरा पति जनवरी माह में हाबडा से रायगढ लेकर आया। रायगढ आने के पश्चात पुनः 5,00,000 रू. दहेज में

नही लाये हो कहकर सभी प्रताडित करने लगे। पीडिता के लिखित आवेदन पर चौकी जूटमिल थाना कोतवाली में अप.क्र. 452/19 धारा 498(ए) भादंवि पीडिता के पति, सास, ससुर व ननद के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्बर्ध हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृपा टी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय झलका मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर वेतलत, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ सामरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित संसाधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं तकनीकी टीमों के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को इसके कार्यक्रमों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति की परेशानी को आसानी से पहुँचकर जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में तत्परता बरतेगा।
- संघ द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

Topper Students Last Session

Tarun 90% Yamini 98%
Shraddha 93% Priyanka 96%
Prerna 84% Hitendra 99%
Akanksha 90% Geetanjali 99%
Chetna 94% Arpita 93%
Arpita 98% Rakesh 97%
Sejal 88% Shiva 97%

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Sushant 92% Prince 97%
Kusum 98% Abhishek 99%
Aayush 93% Prachi 97%
Tulika 96% Pari 96%
Aradhya 97% Ananya 99%
Ashish 96% Ankita 99%

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480